

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा-संचालन सम्बन्धी
उपबन्ध) अधिनियम, 1965

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1965)

**THE UTTAR PRADESH UNIVERSITIES
(PROVISIONS REGARDING CONDUCT OF
EXAMINATION) ACT, 1965**

(U.P. Act No. XXIV of 1965)

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन सम्बन्धी उपबन्ध)

अधिनियम, 1965¹

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1965]

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10, 1973

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 5 अगस्त, 1965 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 16 अगस्त, 1965 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।

‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 17 नवम्बर, 1965 ई0 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 24 नवम्बर, 1965 ई0 को प्रकाशित हुआ]

उत्तर प्रदेश में कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षाओं के संचालन से सम्बद्ध कुछ विषयों के निमित्त व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा—संचालन सम्बन्धी उपबन्ध) अधिनियम, 1965 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

2—इस अधिनियम में, जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) ‘केन्द्र’ का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाएं लेने के प्रयोजनार्थ उसके द्वारा निश्चित किसी संस्था या उसके भाग, अथवा किसी अन्य स्थान से है और इसके अन्तर्गत उससे संलग्न संपूर्ण भू-गृहादि भी है,

(ख) ‘अन्तरीक्षक’ (इंजीनियर) का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी केन्द्र के अधीक्षक को किसी केन्द्र पर परीक्षा के संचालन तथा पर्यवेक्षण में सहायता दें,

(ग) ‘केन्द्र का अधीक्षक’ का तात्पर्य किसी केन्द्र पर आयोजित अथवा आयोजित की जाने वाली विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का संचालन तथा पर्यवेक्षण करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और इसके अन्तर्गत ऐसे केन्द्र का अपर अधीक्षक अथवा सम्बद्ध अधीक्षक भी है;

(घ) ‘विश्वविद्यालय’ का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के किसी ऐक्ट/अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय से है जिसे राज्य सरकार ने गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसा विश्वविद्यालय घोषित किया हो जिस पर यह अधिनियम लागू हो।

3—केन्द्र का प्रत्येक अधीक्षक और प्रत्येक अन्तरीक्षक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा अथवा परीक्षाओं के दौरान में और ऐसी परीक्षा या परीक्षाओं के प्रारम्भ होने के पूर्व एक माह के लिए और समाप्त होने के बाद [छह माह]² के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक-सेवक समझे जायेंगे।

संक्षिप्त शीर्ष
नाम तथा
प्रसार

परिभाषायें

अधीक्षक तथा
अन्तरीक्षक
लोकसेवक होंगे

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए दिनांक 7 अगस्त, 1965 का असाधारण गजट देखिये।

2. राष्ट्रपति अधिनियम सं0 10, 1973 की धारा 75 द्वारा प्रतिस्थापित।

4-केन्द्र के किसी अधीक्षक या अन्तरीक्षक पर धारा 3 में उल्लिखित अवधि में आक्रमण, या आपराधिक बल प्रयोग करने को लोक कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छया बाधा डालना समझा जायगा, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 186 के अधीन दण्डनीय होगा और वह संज्ञेय अपराध होगा, भले ही कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 में कोई बात दी हो।

अधीक्षक या
अन्तरीक्षक पर
आक्रमण आदि

अधिनियम संख्या
45, 1860

अधिनियम संख्या
5, 1898